अधिकार एवं कार्य प्रणाली

लोक आयुक्त संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लोक सेवकों के कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विरूद्व जनता की शिकायत सुनने तथा इनका निवारण करने हेतु शासन को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करना है।

लोक आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत दो प्रकार के परिवाद ग्रहण किये जाते हैं,
1. शिकायत 2. अभिकथन

''शिकायत'' का तात्पर्य किसी कुप्रशासन के सम्बन्ध में लोक आयुक्त का ध्यान आकर्षित करने से है– जो परिवादित कार्यवाही से अवगत होने की तिथि से सामान्यतया एक वर्ष की अवधि के भीतर ही की जा सकती है। लोक आयुक्त को यह अधिकार है कि यदि परिवादी द्वारा यह समाधान किया जाता है कि निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है तो परिवाद ग्रहण किया जा सकता है।

''अभिकथन'' का तात्पर्य किसी लोक सेवक के भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी को लोक आयुक्त के संज्ञान में लाने से है अर्थात यह कि–

(1) उस लोक सेवक ने उसी रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुॅचाने के लिए किया है,
(2) वह उस लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यो का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था, अथवा
(3) वह उस लोकसेवक की हैसियत से भ्रष्टाचार या ईमानदारी की कमी का दोषी है।

लोक सेवक से तात्पर्यः–
1. प्रदेश के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों (मुख्य मन्त्री अधिकार परिधि में नही आतें)।
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों।
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित हैं विशेष सचिव और संयुक्त सचिव तथा,
4. प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत कोई भी अधिकारी (जो उपवाद है उसके लिये आगे देखें)।

(ख) निम्न पदाधिकारियों के विरूद्व केवल अभिकथन को ही भेजा जा सकता हैः–

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख,
2. जिला परिषद के अध्यक्ष,
3. नगर महा पालिका के नगर प्रमुख,
4. नगर पालिका के अध्यक्ष,
5. उत्तर प्रदेश सहकारी समितियॉ अधिनियम के अर्न्तगत पंजिकृत किसी जिला स्तर की केन्द्रीय समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक,

6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतन भोगी प्रत्येक व्यक्तिः–

1) नगर महापालिकायें,
(2) नगर पालिकायें,
(3) जिला परिषदें,

(4) क्षेत्र समितियॉ,
(5) नगर क्षेत्र समितियॉ,
(6) अधिसूचित क्षेत्र समितियॉ,
(7) विकास प्राधिकरण तथा,
(8) औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

7. राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में या वेतन भोगी प्रत्येक व्यक्तिः–

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
(2) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
(3) उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम,
(4) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम,
(5) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
(6) उत्तर प्रदेश जल निगम।

8. कम्पनी अधिनियम के अर्न्तगत आने वाली 44 सरकारी कम्पनियां एवं उसकी 21 सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

शिकायतें कैसे करें

1. प्रत्येक परिवाद निर्धारित प्रपत्र पर तीन प्रतियों में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. प्रत्येक परिवाद टंकित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित एक शपथ–पत्र जो कि माननीय लोक आयुक्त जी को सम्बोधित हो, के साथ होना चाहिए।
3. प्रत्येक परिवाद के साथ आरोपों के सम्बन्ध में दिनांक, समय, स्थान तथा अभिलेख व साक्ष्य का विवरण शपथ–पत्र पर होना चाहिए।
4. केवल अभिकथन रूपी परिवाद के लिए रूपया एक हजार की प्रतिभूति धनराशि निर्धारित शीर्षक ''8443–सिविल निक्षेप'' के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैक अथवा कोषागार में जमा करानी चाहिए। प्रतिभूति की धनराशि से छूट का भी अधिकार लोक आयुक्त का प्राप्त है।

निम्न पर ध्यान दें:

(1) तार या फोन से की गई शिकायतों, अखबारों या छपे हुए इश्तहारों, लीफलेटों के माध्यम से किये गये परिवाद ग्रहय नहीं हैं।
(2) किसी अन्य संस्थान या प्राधिकारी को सम्बोधित और लोक आयुक्त को पृष्ठांकित शिकायतों पर कार्यवाही इस संगठन द्वारा नहीं की जाती है।
(3) किसी विशिष्ट आदेश या कार्य के संबंध में आरोप न होकर यदि किसी पूरे विभाग या लोक सेवक के विरूद्व आम तौर से पूर्णतः भ्रष्ट आदि आरोपों से आरोपित शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
(4) सेवा संबंधी विवाद, अपराध की तफतीश, अभियोजन संबंधी, अथवा संविदा तोड़ने आदि संबंधी विवाद इस संगठन के क्षेत्राधिकार में नही आते हैं।